कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0–13/2021– 63 दिनांक :– 10.02.2022

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/ विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमण्डल, दुमका।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2027–28 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य के लिए कुल **रू0 157.368 लाख (एक करोड़ सनतावन लाख छत्तीस हजार आठ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–25/2020 (खण्ड)–33/स्वी0 व0प0 दिनांक–04.02.2022 एवं आवंटन आदेश संख्या–04/यो0 बजट–27/2020 (खण्ड)–50/आ0 व0प0 दिनांक–04.02.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 102–समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष–59–अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 157.368 लाख (एक करोड़ सनतावन लाख छत्तीस हजार आठ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590101O3	120.485
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110259010323	36.883
कुल :–		157.368

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2** एवं स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3** पर तथा ऑन लाईन उप–आवंटन **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110259010103 तथा 19S24060110259010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1996 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :–

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रुप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रुप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :–

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021–22 से नियमित रुप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरुप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्त्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royality के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगें तथा ससमय return जमा करेगें।

(IX) कंडिका– VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र–संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र–संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ–जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैंन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हो।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–सह–ज्ञापांक–686, दिनांक–05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरुप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान

मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड के समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

23. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लेंगे। जिन स्थलों का जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेस अप्राप्त है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उन स्थलों का जी0पी0एस0 कॉ–ऑर्डिनेस उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।**

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–13/2021–**63 **दिनांक–** 10.02.2022

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–13/2021–**63 **दिनांक–** 10.02.2022

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका/सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2021–22 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			33467.98	10245.16	43713.14
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	235.00	78.650	24.076	102.726
2	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	30.00	10.040	3.074	13.114
3	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका	95.00	31.795	9.733	41.528
योग :–		360.00	120.485	36.883	157.368

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

F:\ANIL\2021-22\Allotment\OARSP\OA\WP NF Land

अनुलग्नक–2

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे0

योजना का नाम– अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर–वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 311.33						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3.00	933.99	0.00	933.99	
2	सामान्य झाड़ी	हे0	7.00	2179.31	0.00	2179.31	
3	ट्रेंच घेरान – मशीन द्वारा ट्रेंच खोदायी ड्रेसिंग सहित	4 चेन प्रति हे0	8	2490.64	7855.16	10345.80	रक्षात्मक विवेक पर मशीन द्वारा ट्रेंच की खुदाई वन संरक्षक की अनुमति प्राप्त कर की जा सकेगी। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है।
4	गड्ढा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हे0 (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	33.00	10273.89	0.00	10273.89	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हे0	16.50	5136.95	0.00	5136.95	
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण–गली प्लगिंग / सिल्ट रिटेंशन डेम / कन्टूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे0	40	12453.20	0.00	12453.20	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		107.50	33467.98	10245.16	43713.14	
(B)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 360 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	7697.00	0.00	7697.00	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	13067.00	0.00	13067.00	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	14857.00	0.00	14857.00	
4	ट्रेन्च के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	716.00	0.00	716.00	
5	पौधों की सुरक्षा	हे0	9.16	3279.28	0.00	3279.28	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		110.66	39616.28	2515.00	42131.28	
(C)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 412 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	9476.00	0.00	9476.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1892.40	1892.40	
3	पौधों की सुरक्षा	हे0	12.16	5009.92	0.00	5009.92	
4	गड्ढा घेरान की मरम्मत	हे0	4.00	1648.00	0.00	1648.00	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	1236.00	290.00	1526.00	
	योग :–		42.16	17369.92	2182.40	19552.32	

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(D)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 473 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	10879.00	0.00	10879.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा	हे0	12.16	5751.68	0.00	5751.68	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	1419.00	290.00	1709.00	
	योग :–		**38.16**	**18049.68**	**1590.00**	**19639.68**	
(E)	वित्तीय वर्ष 2025–26 में संपोषण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 545 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2024–25 को आधार मानते हुए						
1	एक कोड़नी निकौनी	हे0	23.00	12535.00	0.00	12535.00	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00	
3	पौधों की सुरक्षा (80 हे0 तक)	हे0	12.16	6627.20	0.00	6627.20	
4	घेरान की मरम्मत	हे0	4.00	2180.00	0.00	2180.00	
	योग :–		**39.16**	**21342.20**	**500.00**	**21842.20**	
(F)	वित्तीय वर्ष 2026–27 में संपोषण कार्य (षष्ठम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 626 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2025–26 को आधार मानते हुए						
1	पौधों की सुरक्षा (80 हे0 तक)	हे0	12.16	7612.16	0.00	7612.16	
	योग :–		**12.16**	**7612.16**	**0.00**	**7612.16**	
(G)	वित्तीय वर्ष 2027–28 में संपोषण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 720 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2026–27 को आधार मानते हुए						
1	पौधों की सुरक्षा (80 हे0 तक)	हे0	12.16	8755.20	0.00	8755.20	
	योग :–		**12.16**	**8755.20**	**0.00**	**8755.20**	
	सकल योग :–		**361.96**	**146213.42**	**17032.56**	**163245.98**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2027–28 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर–वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं0	जी0पी0एस0 को ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (है0 में)
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	सा0वा0 प्रक्षेत्र, दुमका	जरमुण्डी	बाबुनपहाड़ी	बाबुनपहाड़ी–5	E 87° 05'06.7" N 24° 19'09.3"	556, 566, 573, 556 / 824	30
		सा0वा0 प्रक्षेत्र, शिकारीपाड़ा	रानेश्वर	रिमलजोर	धानभाषा–06	E 87° 22'34.4" N 24° 10'01.2"	63, 83, 530	20
				बिसरीग्राम	धानभाषा–02	E 87° 23'02.7" N 24° 10'43.9"	8, 16, 49, 151, 478	35
				तालडंगाल	तालडंगाल–11	E 87° 22'50.8" N 24° 08'56.9"	54, 458, 1091, 1252, 69	20
				मोहनपुर	वनभाषा–18	E 87° 24'12.2" N 24° 08' 38.27"	18, 58, 230, 238, 240, 241, 388, 521, 536, 653, 623	20
				लालुलिया	धानभाषा–15	E 87° 25'32.7" N 24° 08'09.5"	30, 185, 203, 281, 283, 478, 512, 532, 818	10
		सा0वा0 प्रक्षेत्र, जामताड़ा	जामताड़ा	चन्द्रदीपा	चन्द्रदीपा–10	N 23° 88'26" E 86° 81'74"	843, 3238	40
				बोदमा	बोदमा–26	N 23° 90'11" E 86° 83'04"	1638	35
				हरचण्डीह	हरचण्डीह–14	N 23° 92'33" E 86° 68'60"	966, 980, 1763, 1487, 1709, 1708	25
							योग:–	235
2	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	सा0वा0 प्रक्षेत्र, सिमडेगा	जलडेगा	लमडेगा (गैर–वनभूमि)	कोलेबिरा (जलडेगा)–36	N 22° 32'43" E 84° 51'20"	3886	30
							योग:–	30
3	विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल, दुमका	विश्व खाद्य कार्यक्रम (तसर) प्रक्षेत्र, दुमका	रानेश्वर	बंगाली चावलिया	आमजोड़ा–16		40, 480, 02	50
				संथाली चावलिया	आमजोड़ा–17		337, 888	45
							योग:–	95
							कुल योग:–	360

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 0/YB-13/2021/63 दिनांक - 10-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसीस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79009	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	7,865,000.00 रुपये अठहत्तर लाख पैंसठ हजार
2	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79097	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	1,004,000.00 रुपये दस लाख चार हजार
3	S 19 24060110259010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79102	DVKFOR004 AVIROOP SINHA D.F.O.W.F.P.DUMKA 03 - मजदूरी	3,179,500.00 रुपये इकतीस लाख उनासी हजार पाँच सौ

योग: रुपये एक करोड़ बीस लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ 12,048,500.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

 117.252.165.240 Run Date: 10/2/2022

पत्र संख्या - 0/YB-13/2021/03 दिनांक - 10-Feb-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस में	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79106	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,407,600.00 रुपये चौबीस लाख सात हजार छः सौ
5	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79106	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	307,400.00 रुपये तीन लाख सात हजार चार सौ
6	S 19 24060110259010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	79108	DMKFOR004 AVIROOP SINHA D.F.O.W.F.P.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	973,300.00 रुपये नौ लाख तिहत्तर हजार तीन सौ

योग: 3,688,300.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड सत्तावन लाख छत्तीस हजार आठ सौ 15,736,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. SECY. REV., JHARKHAND
RANCHI

 117.252.195.240 Run Date: 10/2/2022